कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण)

जिला अनूपपुर (म.प्र.)

E-mail : psjanu@mp.gov.in, Phone : 07659-222699
Official Website : www.socialjustice.mp.gov.in, www.samagra.gov.in

क्रमांक/दि.स./2023-24/......./...../2023 अनूपपुर, दिनांक

// विज्ञापन //

मध्य प्रदेश शासन सामाजिक एवं दिव्यांगजन सषक्तीकरण विभाग भोपाल के अर्द्ध.शा.पत्र क्रमांक 2703 दिनांक 07.10.2019 के परिपालन में मंत्रालय/एफ-12 /28-2/ भोपाल दिनांक 17.12.2014 तथा म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं दिन्यांगजन सषक्तीकरण मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक /2475/1306216/23/26-2 भोपाल दिनांक 23.08.2023 के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सषक्तीकरण विभाग, जिला अनूपपुर के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को समग्र एवं स्थाई पुर्नवास, तथा सेवाओं के प्रदाय किये जाने के उददेष्य से जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र स्थापित कर संचालन किया जाना किया जाना है।

जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र अनूपपुर अंतर्गत एक वर्ष की अवधि पर संविदा पदों पर निम्न लिखित आवश्यक पदों की पूर्ति कर नियुक्ति किये जाने हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन उपसंचालक सामाजिक न्याय ण्वं दिव्यांगजन सषक्तीकरण विभाग जिला अनूपपुर में आमंत्रित जाते हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में आवष्यक जानकारी/योग्यता/आर्हताए जिले की एन.आई.सी द्वारा विकसित बेवसाईट https://anuppur.nic.in/ कार्यालय कलेक्टर एवं जिला पंचायत अनूपपुर के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है । पुनर्वास केन्द्र हेतु पद का विवरण आवश्यक अर्हता योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है।

क्र	पदनाम	पद संख्या	शैक्षणिक अर्हताएं	मानदेय
1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक/ पुर्नवास साइक्लोजिस्ट	01	1. क्लीनिकल मनोचिकित्सक 1.1 क्लीनिकल मनोविकित्सा में एम.फिल 1.2 क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यवसायिक डिप्लोमा 2. पुर्नवास चिकित्सक 2.1 पुर्नवास मनोचिकित्सा में एम.फिल 2.2 पुर्नवास मनोचिकित्सा में ग्रेजुएट,पोस्ट डिप्लोमा ष(पी.जी.डी.आर.पी)	20,500
2	वरिष्ठ फिजियो थेरापिस्ट/ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	01	1. फिजियोथेरेपिस्ट:- बैचलर आफ फिजियोथेरेपी (अनिवार्य) 2. ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट:- बैचलर आफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (अनिवार्य) पी.टी. और ओ.टी दोनो पूरी तरह से अलग-अलग विषय है, दोनो की दिव्यांगता पुर्नवास में महत्वपूर्ण और अलग-अलग भूमिकाए है।	20,500
3	सीनियर प्रोर्थेटिस्ट /आर्थोटिस्ट	01	आर.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्टेथिस और आर्थोटिक्स BPO में स्नातक	20,500
4	सीनियर स्पीच थेरापिस्ट/ आडियोलॉजिस्ट	01	आडियोलॉजी और स्पीच एण्ड लैंग्वेज पैथालाजी {B.A.S.L.P} में स्नातक या वी.एस.सी स्पीच एण्ड हियरिंग	20,500
5	प्रोथोटिस्ट/ आर्थोटिस्ट (टेक्निशियन)	01	पी.एण्ड.ओ. में डिप्लोमा या 03 वर्ष के अनुभव के साथ पी.एण्ड.ओ में प्रमाण पत्र	16000
6	हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट (इयर मोल्ड टेक्नीषियन)	01	श्रवण यंत्रो की जानकारी/मरम्मत/कर्ण मोल्ड वनाने के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा, स्पीच एण्ड हियरिंग तकनीषियन पात्रता एंव हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा {D.H.L.S} इयर मोल्ड तकनीषियन पात्रता हियरिंग एण्ड रिपेयर और इयर मोल्ड प्रौघगिकी में डिप्लोमा {D.H.A.R.E.M.T}	16000

7	मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर	01	10बीं गतिषीलता में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पात्रता/ अधिमानत गतिषीलता/ विज्ञान मं स्नातक (B.msc) दृष्टि वाधित में D.ed. विषेष षिक्षा B.ed. बिषेष षिक्षा	14500
8	मल्टीपर्पज रिहेब्लीटेशन बर्कर	01	बहु-उददेषीय पुर्नवास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुर्नवास {PGDCBR} में पोस्ट ग्रेजुएट/समुदाय आधारित पुर्नबास {DCBR} / समुदाय आधारित समावेषी विकास {CBID}@MRw में डिप्लोमा	14500
9	ट्रान्स डिसीप्लिनरी स्पेषल एडुकेटर (MR)	01	दो पदो के लिये पात्रताः (1) श्रवण वाधिता में D.ed se@B.ed se (2) Vi/Id/Cp/Asd/M.d/Dv/Sld में D.ed se/ B.ed se	16000
10	एकाउटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर	01	दो वर्षो के अनुभव सहित (B.COM/SAS)	14500
11	अटेंडेंट/प्यून/मेंसेंजर	01	8वीं पास	9500
12	वेकेष्नल काउंसलर कम कंम्प्यूटर असिसटेंट	01	व्यवसायिक पुर्नवास में डिप्लोमा {DBR}/बाल मार्गदर्षन और परामर्ष में एडवांस्ड डिप्लोमा {ADCGC}/पुर्नवास विज्ञान में स्नातक	14500
13	एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर	01	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांता के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव	18000
14	**चौकीदार**	01	8वीं पास कलेक्टर दर (अकुषल श्रमिक)	8000

<u>नियुक्ति संबंधी शर्ते -</u>

1. विज्ञप्ति के बिन्दु क्रमांक 01 से 09 तक के समस्त पदो के लिये भारतीय पुनर्वास परिसर आर.सी. आई. का वैघ एवं जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है। उक्त पद के संबध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. सीनियर फिजियोथेरापिस्ट तथा ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट पद के लिये भारतीय पैरामेडिकल एसोसिएशन का वैध तथा जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है। उक्त पद के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
3. उपरोक्त सभी पद एकाकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे ।
4. आवेदक की न्यूनतम आयु 01 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिये, साथ ही शासन के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को शासन द्वारा प्रदत आयु सीमा में छूट दी जायेगी ।
5. सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए है। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितीकरण किए जाने हेतु कोई भी दावा/बाद विवाद स्वीकार एवं मान्य नहीं होगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 01 वर्ष के लिये है। किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । 01 वर्ष पश्चात सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर समिति द्वारा पुनः सेवा में वृद्धि की जा सकती है ।
7. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3 मोपाल, दिनांक 03 नवम्बर 2012 के नियमानुसार आयु की गणना निम्रानुसार होगी।

क्र.	**विवरण**	**अधिकतम आयु (वर्ष में)**
01	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
02	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	40 वर्ष
03	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित 45 वर्ष जाति/ अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
04	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	45 वर्ष
05	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
06	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) (शासकीय/निगम/मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष

07	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

8. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
9. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1985 प्रभावशील होगा।
11. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न पाये।
   जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
12. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद के नाम का उल्लेख अवश्य करें, आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा ।
13. आवेदन जमा होने की निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे ।
14. आवेदक द्वारा एक पद हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अन्य पदों में भी आवेदन की स्थिति में आवेदक को पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदकों के मूल प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्यवाही मुख्य साक्षात्कार दिनांक को होगी, जिसमे आवेदकों को मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।

<u>16. आवेदक के निर्रहताएं मानी जावेगी:-</u>

16.1- यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नि है और स्त्री आवेदिका की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नि हो।

16.2- यदि यह केन्द्र राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय/संस्था का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजक कर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया हो। साथ ही उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत न किया हो।

16.3- ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हो और यदि उनमें से एक जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो।

17. चयनित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के 7 दिवस के भीतर मेडीकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं 200 रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध कराना आवश्यक होगा।
18. नियुक्त संविदा कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा, चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
19. नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी बाद की स्थिति में जिला प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

कलेक्टर
सह अध्यक्ष
जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र
जिला अनूपपुर म.प्र.

पृ.क्रमांक/दि.स./2023-24/ अनूपपुर, दिनांक
....../...../2023

प्रतिलिपिः-
1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेष भोपाल की ओर विज्ञापन के संबंध में कृपया राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाषन कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल मध्य प्रदेष।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को सूचनार्थ ।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं बेवसाईट में प्रकाशनार्थ हेतु।

कलेक्टर
सह अध्यक्ष
जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र
जिला अनूपपुर म.प्र.